

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/6118

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 17.07.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कबीराराम पुत्र
खमाराम जाति
मेघवाल निवासी
हरूपाणी (भीमडा)
तहसील बाटाडु जिला
बाड़मेर।

1 भुराराम पुत्र ताजाराम 2 इन्द्राराम 3 खेमाराम 4
बाबूराम 5 रमेश पिसरान कुचटाराम 5 गंगा देवी पत्नि
कुचटाराम 7 पुनमाराम पुत्र डुंगराराम 8 धुडी देवी पत्नि
बाबुराम जाति मेघवाल निवासी ईशरामों की ढाणी
(भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर 9 हनुमानराम पुत्र
लाभूराम 10 अणसी पत्नि लाभूराम 11 कुंभाराम पुत्र
बांकाराम 12 चुनी देवी मोतीराम 13 खुमाराम दत्तक प
मोतीराम जाति जाट निवासी ईशरामों की ढाणी (भीमडा)
तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 188/2025

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ईशरोमों की ढाणी पटवार क्षेत्र भीमडा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 888/879 रकबा 1.3348 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 17.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6119-6122

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भीमडा तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कबीराराम पुत्र खमाराम जाति मेघवाल निवासी हरूपाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भुराराम पुत्र ताजाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी ईशरामों की ढाणी (भीमडा) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर